07.10.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रा. पत्र पि.हि. पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र दि. 27.11.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

27.11.25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर बाद के साथ नत्थी हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या
23/2025

तारीख रजू
18.03.2025

तारीख निर्णय
27.11.2025

बउनवान

1. रामसिंह पुत्र कजोड, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर, दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार मण्डावर, दौसा।
2. फोरेस्टर मण्डावर, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी महवा, तहसील महवा, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री मुकेश सिंह।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी ग्राम सरावली, तहसील मण्डावर, जिला दौसा का मूल निवासी है जो अपने बुजुर्गान के समय से अपने ग्राम सरावली में स्थाई निवास रहा है। प्रार्थी की समस्त चल–अचल सम्पत्ति प्रार्थी के निवास स्थान पर स्थित है जिसका उपयोग–उपभोग प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से करता चला आ रहा है। प्रार्थी को अपनी अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करने का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया है। प्रार्थी की अचल सम्पत्ति में प्रार्थी के कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि है जिसका खसरा नम्बर 583/55 रकबा 2.75 हैक्टे., खसरा नम्बर 55/3 रकबा 0.06 हैक्टे., 584/55 रकवा 0.68 हैक्टे., कुल किता 3.50 हैक्टे. एवं आराजी भूमि खसरा नम्बर 56/6 रकबा 0.22 हैक्टे. वाके ग्राम सरावली तहसील मंडावर जिला दौसा में स्थित है। प्रार्थी उक्त भूमि में काश्त करता चला आ रहा है एवं प्रार्थी के पास अपने परिवार के पालन पोषण का यही एक मात्र सहारा है जिसमें प्रार्थी फसल पैदा कर अपना एवं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की भूमि से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का सरोकार नहीं है। उक्त भूमि प्रार्थी के पूर्वजों के समय से प्रार्थी के कब्जे में चली आ रही है, अप्रार्थीगण जबरन उक्त भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहते है। प्रार्थी के स्वामित्व व स्वत्व की भूमि खसरा नम्बर 583/55, 55/3, 584/55 एवं भूमि खमरा नम्बर 56/6 वाके ग्राम सरावली की भूमि को हडपना चाहते है। उक्त भूमि प्रार्थी के पूर्वजों के कब्जे काश्त की भूमि थी जिसमें प्रार्थी से पूर्व प्रार्थी के पिता द्वारा अपने जीवन पर्यंत काश्त की गई थी। उक्त भूमि प्रार्थी को विरासत में प्राप्त हुई है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है लेकिन उक्त भूमि का

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
(दौसा) राज

रकबा भू बन्दोबस्त विभाग के द्वारा चकबंदी करने के दौरान राजस्व रिकॉर्ड में तो रकबा सही रखा था लेकिन उक्त भूमि का नक्शा ट्रेस छोटा कर दिया जिससे प्रार्थी की भूमि मौके पर कम हो गई एवं जमाबन्दी में रकबा सही दर्शा रखा है एवं भूमि का नक्शा ट्रेस छोटा कर उक्त भूमि वन विभाग के नक्शा ट्रेस में लगा दी है जिसमे प्रार्थी की भूमि जमाबन्दी में तो सही है लेकिन मौके पर रकबा कम है एवं प्रार्थी की भूमि के पास ही स्थित वन विभाग की भूमि के नक्शा ट्रेस में भूमि मिली हुई है। प्रार्थी उक्त भूमि पर लगातार फसल काश्त कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। प्रार्थी शान्ति पूर्वक अपनी भूमि में काश्त करते चले आ रहा है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की उक्त भूमि में जबरन अतिक्रमण करने का प्रयास किया है लेकिन प्रार्थी ने हाथ जोड़ कर अप्रार्थीगण को समझाया जिससे अप्रार्थीगण अभी तक उक्त भूमि में अतिक्रमण नहीं कर पाये थे। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 583/55, 55/3, 584/55 एवं भूमि खसरा नम्बर 56/6 वाके ग्राम सरावली के लगवा ही खसरा नम्बर 54 है जो वन विभाग की भूमि है। उक्त खसरा नम्बर की नक्शा ट्रेस में ही प्रार्थी की भूमि का रकबा मिला हुआ है। वन विभाग की उक्त भूमि की आड़ में ही अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि को हडपना चाहते है। प्रार्थी दिनांक 17.03.2025 को अपनी उक्त भूमि खसरा नम्बर 583/55, 55/3, 584/55 एवं भूमि खसरा नम्बर 56/6 वाके ग्राम सरावली में फसल गेहूं की देखभाल कर रहा था कि उसी समय प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 3 अपने साथ अधीनस्थ कर्मचारियों को साथ में लेकर आ गए एवं प्रार्थी को एक नोटिस दे दिया जो दिनांक 10.03.2025 का जारी किया गया था लेकिन प्रार्थी को 17.03.2025 को दिया है एवं अप्रार्थीगण सभी प्रार्थी के कब्जे एवं स्वामित्व की भूमि पर आ गए व प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी कि हम इस जमीन में होकर जे.सी.बी. से वन विभाग की खाड़ी खोद कर रहेंगे एवं खेत में जगह जगह बड़े–बड़े गड्ढे खोद कर खेत को फसल करने लायक नहीं छोड़ेंगे एवं खेती को अनुपजाऊ बना देंगे एवं तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम सरकारी अधिकारी है, ज्यादा बकवास करोगे तो हम तुमको झूठे केस में फसा कर बर्बाद कर देंगे, जेल भेज देंगे एवं जबरन अप्रार्थी 1, 2, 3 एवं उनके साथ में आये कर्मचारी खेतो में अन्दर घुस कर निशान लगाकर प्रार्थी के खेत में अन्दर होकर जबरन वन विभाग की खाड़ी खोद कर खेत में गड्ढे खोद कर खेत की भूमि को अनुपजाऊ बनाने की ऐलानिया धमकी देने लगे थे। इस प्रकार यदि अप्रार्थीगण अपने द्वारा दी गई धमकी में कामयाब हो गए तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी। लिहाजा प्रार्थी कि ओर से यह प्रार्थना पत्र बावत अस्थाई निषेधाज्ञा का अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया जाना लाजिम आया है जो श्रीमान न्यायालय में पेश है। विनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 17.03.2025 को अप्रार्थी 1, 2, 3 द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ में प्रार्थी के स्वामित्व की उक्त भूमि में आकर जबरन अतिक्रमण कर खेत में होकर जबरन वन विभाग की खाड़ी खोद कर खेतो में गड्ढे खोदने की ऐलानिया धमकी देने से ग्राम सरावली, तहसील मण्डावर जिला दौसा में पैदा हुआ है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वाद पत्र के साथ पेश है। अप्रार्थीगण लोकसेवक हैं, कानूनन जिनके विरुद्ध वाद पेश करने से पूर्व उन्हें धारा 80 जा.दी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु प्रार्थी का वाद पत्र अत्यावश्यक प्रकृति का है एवं दिनांक 17.03.2025 को अप्रार्थी नम्बर 1, 2, 3 के द्वारा प्रार्थी के स्वामित्व व स्वत्व के खेत में होकर तत्काल ही जबरन वन विभाग की खाड़ी खोद कर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

गड्ढे खोदने की ऐलानिया धमकी देने से यह वाद पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। यदि कानूनन अप्रार्थीगण को दावा प्रस्तुत करने से पूर्व लीगल नोटिस 60 दिवस का प्रदान किया गया तो अप्रार्थीगण अपने द्वारा दी गई ऐलानिया धमकी में सफल हो जायेंगे जिससे प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी एवं प्रार्थी न्याय प्राप्ति से वंचित हो जायेगे एवं प्रार्थी का वाद पत्र अत्यावश्यक प्रकृति का होने से श्रीमान न्यायालय को दावा प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वाद पत्र को प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु धारा 80 (2) जा. दी. का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला पूरी तरह से साबित है एवं यदि अप्रार्थीगण अपने द्वारा दिनांक 10.03.2025 को दी गई धमकी में सफल हो गए तो प्रार्थी अपनी पैतृक सम्पत्ति खातेदारी भूमि से वंचित हो जाएगा जिससे प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फ़रमाया जाकर अप्रार्थीगण को इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो प्रार्थी के स्वामित्व व स्वत्व की एवं खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 583/55, 55/3, 584/55 एवं भूमि खसरा नम्बर 56/6 में होकर किसी प्रकार की वन विभाग की खाड़ी नहीं खोदे एवं खाड़ी खोद कर प्रार्थी के खेतो में गड़े नहीं खोदे एवं जबरन प्रार्थी के स्वामित्व की उक्त भूमि में अवैध रूप से अतिक्रमण नहीं करे, प्रार्थी को अपनी भूमि से बेदखल नहीं करें एवं अप्रार्थीगण उक्त भूमि की मौके की व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखने हेतु पाबन्द रहे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नियत तिथि को अप्रार्थीगण के द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रार्थी अभिभाषक के निवेदन पर अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की बहस सुनी जाकर अप्रार्थी संख्या 2 एवं 3 के विरुद्ध अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 01.05.2025 इस आशय की जारी की गयी कि अप्रार्थी संख्या 2 एवं 3 आगामी तारीख पेशी तक विवादित आराजीयात खसरा संख्या 583/55, 55/3, 584/55 एवं 56/6 में किसी प्रकार की खाड़ी नहीं खोदें, एवं खाड़ी खोद कर प्रार्थी के खेतो में गड्ड़े नहीं खोदें, प्रार्थी को अपनी भूमि से बेदखल नहीं करें एवं अप्रार्थीगण उक्त भूमि की मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

3. नोटिस की तामील के बाद, जवाब प्रार्थना पत्र के लिये पर्याप्त अवसर के उपरान्त भी अप्रार्थी सं. 01 लगायत 03 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बंद किया गया।

4. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया।

5. पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद या कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

6. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के अनुसार, विवादित आराजीयात के प्रार्थी दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र इन्द्राज दुरूस्ती तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। वाद के लम्बित रहने की अवधि के दौरान, विवादित आराजीयात में, यदि अप्रार्थी सं. 02 व 03 के द्वारा खाड़ी खोद कर निर्माण या तारबन्दी की जाती है तो प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव होगा तथा इससे वाद बहुलता में व मौके पर विवाद में बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है। आराजीयात के मौके की वर्तमान स्थिति में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से बदलाव किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक वादग्रस्त आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने या नुकसान पहुंचाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर स्थिति में बदलाव से सम्भावित विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

7. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम सरावली, पटवार हल्का जटवाडा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा संख्या 583/55, 55/3, 584/55 एवं 56/6 के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 01.05.2025 को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णीत होने तक, सम्पुष्ट (Confirm) किया जाता है

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

तथा अप्रार्थी संख्या 2 एवं 3 के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णीत होने तक, अप्रार्थी संख्या 2 एवं 3 उक्त विवादित आराजीयात खसरा संख्या 583/55, 55/3, 584/55 एवं 56/6 में किसी प्रकार की खाड़ी नहीं खोदें, खाड़ी खोद कर प्रार्थी के खेतो में गड्ढ़े नहीं खोदें, प्रार्थी को अपनी भूमि से बेदखल नहीं करें एवं अप्रार्थीगण उक्त भूमि की मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर, दौसा

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

8. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 27.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर, दौसा

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)